न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 12/2015

1. चतुर्भुज
2. सीताराम

पुत्रान भवंरलाल जाति यान माली निवासीगण सीसवाली तह0 मांगरोल

3. जगदीश दत्तक पुत्र श्रीकिशन जाति माली निवासी भैरूपुरा सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. घांसी पुत्र किशना जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गतधारा 88, 89, 90, 92 ए, व 188 आर0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांकः 23.03.2015

निर्णय दिनांक : 08.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की काबिज काश्त आराजी साबिक खसरा नं0 2846 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में घांसी बेटा किशना कौम धाकड साकिन सहरोद के खाते दर्ज हो रही है। हाल सेटलमेंट बाद आराजी के हाल खसरा नं0 4969 रकबा 1.36 है0 दर्ज किये गये है। प्रतिवादी नं0 1 घांसी बेटा किशना कोम धाकड साकिन सहरोद तह0 अटरू के खाते दर्ज की गई है। किन्तु उक्त आराजी पर कभी भी प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा अथवा अधिकार नही रहा है। वादी के दादा स्व0 मंगला पिता स्व0 भंवरलाल जी आराजी पर काबिज काश्त रहे और उनके पश्चात वादीगण लगातार 60–70 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी कम 1 ने उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज दादा स्व0 मंगला के रू0 150 में रहन कर दी थी। जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी सम्वत 2019–2022 में हो रहा है। तथा काश्त खुद मंगला जी माली बदस्तूर दर्ज हो रहा है। बाद में वादीगण के पिता स्व0 भंवरलाल माली को रू0 95 में बैचान कर दिया था, तब से आराजी पर वादीगण का कब्जा व दखल है। अतः खसरा नं0 4969 रकबा 1.36 है0 वाके माल सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी को राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खाते दर्ज किया जावें व प्रतिवादी नं0 1 घांसी बेटा किशना का नाम हटाया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.03.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 03.02.2016 को प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर

... घोषित किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है के द्वारा दिनांक 09.04.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि निम्नानुसार है:–

01. बिन्दू सं0 1 कानूनी है। स्वीकार है।
02. बिन्दू सं0 2 आंशिक जो रिकोर्डेड तथ्य है वे स्वीकार है। भूमि वर्तमान मे घांसी पुत्र किशना जाति धाकड निवासी सहरोद के नाम ग्राम सीसवाली में आ0ख0नं0 4979 रकबा 1.36 है0 भूमि खातेदारी में स्थित है।
03. बिन्दू सं0 3 अस्वीकार है।
04. बिन्दू सं0 4 अस्वीकार है। भूमि वर्तमान मे बिन्दु नं. 02 मे अंकित व्यक्ति के नाम खातेदारी मे है।
05. बिन्दु नं0 5 अस्वीकार है। भूमि सदैव से ही प्रतिवादी की खातेदारी में स्थित है।
06. बिन्दु नं0 6 अस्वीकार है। विस्तार से विवरण विशेष निवेदन में अंकित है।
07. बिन्दु नं0 7 कानूनी है।
08. बिन्दु नं0, 8, 9 कानूनी है।

विशेष निवेदनः–

यह है कि वर्तमान में ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की हाल आराजी खसरा नं0 4979 रकबा 1.36 है0 घांसी पुत्र किशना धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू के नाम खातेदारी में अंकित है। वादीगण के वादपत्र में एडवर्स पजेशन के फलस्वरूप वादीगण किसी भी प्रकार से टाईटल के हकदार नही बनते है।

इस संबंध में माननीय उच्च्तम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)

मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

(राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से एवं एक खातेदार की विधिसंगत खातेदारी भूमि पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर जो वाद लाया है वह अविलम्ब राजहित एवं न्यायहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। दिनांक 08.08.2018 को वकील वादी उपस्थित है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुचा है कि ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की हाल आराजी खसरा नं0 4979 रकबा 1.36 है0 घांसी पुत्र किशना धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू के नाम खातेदारी में अंकित है। वादीगण के वादपत्र में एडवर्स पजेशन के फलस्वरूप वादीगण किसी भी प्रकार से टाईटल के हकदार नही बनते है अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल